लैंस प्रत्यारोपण शिविर संपन्न

छीपाबड़ौद । हर माह की भाँति निःशुल्क नेत्र जाँच एवं लैन्स प्रत्यारोपण शिविर भारत विकास परिषद के तत्वावधान में जिला अंधता निवारण समिति बांरा के निर्देशन में बुधवार को लगाया गया स्वर्गीय रामप्रताप मेघवाल की पुण्य स्मृति में भामाशाह आनंदीलाल, कन्हैयालाल, लालचंद, फूलचंद, जुगलकिशोर, ओमप्रकाश और चेतन प्रकाश मेघवाल (गांव बीलखेड़ा) के सहयोग से निशुल्क नैत्र जांच एवं लैंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। भारतमाता और विवेकानंद जी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया तत्पश्चात भामाशाहों का स्वागत सम्मान प्रांतीय उपाध्यक्ष महेंद्र नागर, जिला प्रभारी धीरज बाठला, शिविर प्रभारी नरेंद्र बाठला चिकित्सा प्रभारी अखिलेश गर्ग द्वारा किया गया।अध्यक्ष राजेंद्र कुमार योगी और सचिव विकास सोनी ने बताया कि शिविर में डा.अनिल पटेल, जीतू पाठक, डॉ सोनू अहीर, एवं श्री सतगुरू संकल्प नैत्र चिकित्सालय आनंदपुर की विशिष्ट चिकित्सकों की टीम द्वारा 225 मरीजो की जाँच कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गई एवं 52 मोतियाबिंद ऑपरेशन के योग्य पाये गये मरीजों को चिन्हित कर सतगुरू संकल्प नैत्र चिकित्सालय आनंदपुर भेजा गया साथ ही सभी मरीजों को भोजन के पैकिट और पानी की बॉटल वितरित की गई शिविर में मांगरोल, अकलेरा, अटरू, छबड़ा, मनोहर थाना, सांगोद, किशनगंज, झालावाड़, बारां के मरीज निःशुल्क जांच और ऑपरेशन करवा रहे है ।

गांधीसागर अभयारण्य में जल्द दौड़ेंगे चीते,

- चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा तहसील की जवाहर नगर पंचायत से लगे मध्यप्रदेश के गांधीसागर अभयारण्य में केन्या के विशेषज्ञों ने किया भ्रमण
- विशेषज्ञों ने 6400 हेक्टेयर में बने बाडे, क्वारंटाइन बाड़ों, हाट मास्ट कैमरा, जलस्रोत मानीटरिंग के लिए बनाए गए स्थल और उपचार केंद्र सहित सभी तैयारियां देखीं।

रावतभाटा । चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा तहसील की जवाहर नगर पंचायत से लगे मध्यप्रदेश के गांधीसागर अभ्यारण्य में चीते बसाने की तैयारी अब तेजी से पूरी हो रही है। अब तक हो चुकी तैयारियां पर्याप्त मानी जाती हैं तो जल्द ही गांधीसागर अभ्यारण्य में चीते दौड़ते नजर आएंगे। तैयारियों को देखने केन्या से आए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ दल ने मंगलवार व बुधवार 2 दिन गांधीसागर अभ्यारण्य का निरीक्षण किया। विशेषज्ञों ने 6400 हेक्टेयर में बने बाडे, क्वारंटाइन बाड़ों, हा मास्ट कैमरा, जलस्रोत मानीटरिंग के लिए बनाए गए स्थल और उपचार केंद्र सहित सभी तैयारियां देखीं। गांधीसागर अभ्यारण्य अधीक्षक राजेश मंडवारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना चीता पुनर्स्थापना योजना के अन्तर्गत केन्या सरकार के 6 सदस्यीय दल गांधीसागर में दो दिवसीय भ्रमण पर रहे। जिसमें प्रथम दिवस भ्रमण दल को अभ्यारण्य में चीता पुनर्स्थापना के लिए की ग तैयारियों एवं कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता प्रोजेक्ट के सफलतम के एक वर्ष के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण गांधीसागर एवं कुनो प्रबंधन द्वारा दिया गया।

दूसरे दिन अभ्यारण्य में प्रचलित एवं पूर्ण हुए कार्यों का किया भ्रमण। गांधीसागर अभ्यारण्य अधीक्षक राजेश मंडवारिया ने बताया कि केन्या से आए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ दल ने 6400 हेक्टेयर में बने बाडे, क्वारंटाइन बाड़ों, हा मास्ट कैमरा, जलस्रोत मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए स्थल और उपचार केंद्र सहित सभी तैयारियां देखीं। साथ ही भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून एवं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के विशेषज्ञों द्वारा भारत में वन्यप्राणियों की मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किए जा रहे उपकरणों एवं तकनीकी के संबंध में भी भ्रमण दल को अवगत कराया गया। दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के साथ हो चुका हैं,एमओयू। भारत से विलुप्त हो चुके चीतों को पुनः बसाने के लिए भारत सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के साथ पूर्व में ही एमओयू हस्ताक्षरित किया जा चुका है। वर्तमान में केन्या से आए दल द्वारा भी चीता पुनर्स्थापना के लिए चयनित स्थलों का भ्रमण किया जा रहा है, ताकि भविष्य में केन्या के साथ चीता के संबंध में आवश्यक कार्रवा की जा सके, जो भारत में चीता पुनर्स्थापना एवं इनके संरक्षण के लिए चीता प्रोजेक्ट के माध्यम से किए जा रहे ।

बकाया बिल 31 तक जमा होंगे

कोटा, (निसं)। राज्य सरकार की ओर से जनस्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग के पेयजल उपभोक्ताओं के पानी के बकाया बिल 31 मई तक एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ति पर छूट प्रदान की जा रही है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियंता नगर खंड द्वितीय ने बताया कि 31 मार्च 2023 तक के बकाया राशि के बिलों की एक मुश्त राशि 31 मई तक जमा करवाने पर राज्य सरकार की ओर से बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति में छूट प्रदान की जा रही हैं। पेयजल उपभोक्ता बकाया राशि को जमा कराने के लिए संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय से सम्पर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आई.आई.एफ.एल. बनी देश की सबसे बड़ी अफोर्डेबल हाऊसिंग कंपनी'

जयपुर। आई.आई.एफ.एल. होम फाइनेंस लिमिटेड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) वित्त वर्ष 2023 में 28 हजार 512 करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2024 में बढ़ कर 35 हजार 499 करोड़ रुपये हो गया है। ये सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की ठोथ है। इससे ये 14.26 लाख रुपये के औसत टिकट आकार के साथ भारत की सबसे बड़ी अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी बन गई है।

आईआईएफएल होम फाइनेंस के ईडी और सीईओ मोनू रात्रा व जोनल सेल्स हेड - नॉर्थ, प्रवीण खुल्लर ने बताया कि 6 मई 2024 की एक्सचेंज रिपोर्टिंग के अनुसार, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट्स अथॉरिटी (एडीआईए) की 20 प्रतिशत से अधिक शेयर होल्डिंग वाली कंपनी के ऑपरेशन से रेवेन्यू वित्त वर्ष 23 में 2712 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़ कर 3317 करोड़ रुपये हो गया। ये सालाना आधार पर 23 प्रतिशत की ठोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सालाना आधार पर 32 प्रतिशत की बढ़ ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2023 में टैक्स भुगतान के बाद लाभ 768 करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2024 में बढ़ कर 1017 करोड़ रुपये हो गया।

सिंघवी ने जनसुनवाई की

छबड़ा। विधायक प्रतापसिंह सिंघवी गुरूवार को छबड़ा के दौरे पर रहे। यहां उन्होने भाजपा कार्यालय पर जनसुनवाई करते हुए पेयजल आदि समस्याओ का मौके पर निस्तारण किया। वही, षोक संतृप्त परिवारो को ढ़ांढस बंधाया। भाजपा नगर महामंत्री हरिओम गौड़ के अनुसार विधायक सिंघवी ने भाजपा कार्यालय पर आमजन की पीड़ा सुनी और मौके पर ही निस्तारण किया। यहां एजाज नगर में पेयजल सम्बंधी समस्या को लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देषित किया। पार्शद रितेष षर्मा ने बताया कि विधायक सिंघवी ने चांचौड़ा सरपंच नंदकिशोर गाडरी, छबड़ा निवासी ओमप्रकाश उपाध्याय, कावेरी बा , ललित चंदेल, विनीता शर्मा के निधन पर शोकाकुल परिवारो को ढांढस बंधाया। इस अवसर पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहें।

शिविर का समापन समारोह आज

छबड़ा। आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित सप्त दिवसीय अभिरुचि शिविर एवं समर कैंप का समापन समारोहपूर्वक षुक्रवार को किया जाएगा। शिविर प्रभारी राजेंद्र रावल ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी अंकीम अग्रवाल होंगे। अध्यक्षता व्याख्याता अशोक कुमार भार्गव द्वारा किया जाएगा। प्रधानाचार्य अमृतलाल मीणा के अनुसार कि 17 म से प्रारंभ हुए अभिरुचि शिविर में संगीत, घोष वादन, कंप्यूटर, नृत्य मेहंदी एवं नृत्य के प्रशिक्षण में 50 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। शिक्षार्थियों को स्मृति चि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

सफलता पाकर खिले चेहरे मिला सम्मान

नैनवां । कस्बे के एक प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थान ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी परिणाम में विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग में बेहतर परिणाम देने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। संस्थान के डायरेक्टर रिंकू जैन व जिनेंद्र जैन में जानकारी देते हुए हमेशा की तरह श्रेष्ठ परिणाम देकर अपनी संस्था की प्रतिष्ठा बनाई रखी है।विज्ञान वर्ग में गणित के छात्र सुनील सैनी ने 93.20 ,जीव विज्ञान में निशा नागर ने 90.80 , कृषि विज्ञान में आसाराम बैरवा ने 89.80 अंक प्राप्त कर संस्था के टॉपर बने है इसके अलावा प्रिया नगर 89 हर्षिता जैन 89 ज्योति पोटर 87.40 कुलदीप मीणा 86 आरिस मंसूरी 86 दिगंबर चोपदार 83 .20 धोली मीणा 83 रवि मीणा 81. 80 गणेश मीणा 80.80 प्रियंका पोटर 80.40 अंक प्राप्त किये है..वाणिज्य संकाय में भव्य जैन ने 73.60 अंक प्राप्त किये है...संस्था का परिणाम हमेशा की तरह शत प्रतिशत रहा है...छात्र यस शर्मा ने अपने दोनों पैर फेक्चर होने के बावजूद परीक्षा देकर 77.40 अंक प्राप्त कर यह सिद्ध किया की हौसले हो तो कोई मंजिल दूर नही होती है।

प्रतिभाओं का किया सम्मान

नैनवा । मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के तत्वावधान में उपखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नैनवा मे संपन्न हुआ।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2024 में 90 व 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉ महावीर कुमार शर्मा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी तथा अध्यक्षता राजेंद्र व्यास जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बूंदी थे। अतिथियों का सम्मान माल्यार्पण से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल गोयल तथा प्रधानाचार्य श्रीमती विभा गौतम ने किया मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने शैक्षिक करियर का पहला माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। अब आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए शांति व धैर्य से अपना शत प्रतिशत प्रयास करना होगा ।अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी होगी। सोशल मीडिया से आवश्यक दूरी बनाए रखें तथा ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी।

समारोह को जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र व्यास, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल गोयल, आरपी शांतिलाल नागर ने भी संबोधित किया।

सम्मान समारोह में ब्लॉक स्तर पर 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 74 छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर, शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नैनवा के व्याख्याता महेंद्र नागर, व्याख्याता महावीर प्रसाद कहार, वरिष्ठ अध्यापक ज्ञानचंद जैन , जावेद ,ललित कुमार जैन, सतीश शर्मा आदि कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मण लाल माली आरपी ने किया। अंत में प्रधानाचार्य श्रीमती विभा गौतम ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

आवेदन 25 जून तक

कोटा, (निसं)। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कोटा में पंजीकृत वीरांगनाओं या पूर्व सैन्य अधिकारी की पत्नी जो स्नातक हो एवं जिसकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष हो, उनके लिए महिला वार्डन के पद पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति की जानी है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल रविन्द्र सिंह राठौड़ (से.नि.) ने बताया कि आर.के. पुरम गर्ल्स कोचिंग छात्रावास में पूर्णतः पारिश्रमिक वेतन 20,000 रूपये प्रतिमाह के आधार पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। महिला वार्डन को 24 घण्टे छात्रावास में ही निवास करना होगा। आवेदनकर्ता अपना प्रार्थना पत्र सादा कागज पर मय संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कोटा में 25 जून तक प्रस्तुत कर सकती हैं।

ऊर्जा मंत्री नागर आज कोटा में

कोटा, (निसं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार देर रात कोटा पहुंचे। वे शुक्रवार को जिलेभर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ऊर्जा मंत्री के निजी सहायक राजेंद्र नागर ने बताया कि मंत्री नागर हिंगी में अखिल भारतीय श्री धाकड़ परिवार की ओर से आयोजित भव्य जागरण व भंडारे में पहुंचेंगे। इसके अलावा कोलाना जागीर, दीगोद क्षेत्र के उदयपुरिया तथा हरिपुरा गांव में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों व विवाह समारोह में भी हिस्सा लेंगे।

खदान में मिला युवक का 3 दिन पुराना शव, क्षेत्र में फैली सनसनी

बूंदी। बूंदी के हिंडोली थाना क्षेत्र के सथूर कस्बे के वैद्यनाथ महादेव मंदिर के पास गुरुवार को कस्बे से 5 किलोमीटर दूर बंबोरी माइंस की खदान में एक तीन दिन पुराना शव पड़ा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने हिंडोली थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर हिंडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर हिंडोली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।भीषण गर्मी व शव 3 दिन पुराना होने से सड़ गल चुका था। जिसके चलते शव से बदबू आने लगी थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया तथा मामले की जांच में जुट गई।

मृतक की पहचान हिंडोली थाना क्षेत्र के खातिखेड़ा निवासी मोरपाल मीणा पुत्र कस्तूरचंद मीणा उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और हिंडोली थाना पुलिस की मौजूदगी में शव को हिंडोली स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हिंडोली थाने के हेड कांस्टेबल कन्हैयालाल मीणा ने बताया कि मोबाइल ट्रेस के आधार पर जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं प्रथम दृष्टिया आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है। क्योंकि खान के ऊपर मोबाइल पड़ा हुआ था और वहां से छलांग लगाने से खान में पत्थर पर गिरकर चोट के कारण मौत होना प्रतीत हो रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है मृतक शादीशुदा था। जो 3 दिन से घर से गायब था। मृतक के दो छोटे बच्चे भी थे।

मतगणना के दिन धारा 144 लागू

- निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र रिवॉल्वर, पिस्तौल, बंदूक, रायफल व अन्य धारदार हथियार तलवार, गण्डासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बरछी, लाठी आदि लेकर नहीं चलेगा और ना ही उसका प्रदर्शन करेगा

झालावाड़,। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने व जिले में कानून व्यवस्था व लोकशांति बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) अजय सिंह राठौड़ द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की राजस्व सीमाओं के अंदर निषेधाज्ञा लागू की गई है।

निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र रिवॉल्वर, पिस्तौल, बंदूक, रायफल व अन्य धारदार हथियार तलवार, गण्डासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बरछी, लाठी आदि लेकर नहीं चलेगा और ना ही उसका प्रदर्शन करेगा, न ही किसी प्रकार के उत्तेजनात्मक व आपत्तिजनक नारे लगवाएगा तथा उपरोक्त शस्त्रों को लेकर गृह सीमा से बाहर जाने एवं उसका प्रदर्शन करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

उक्त आदेश सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, राज्य व केन्द्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो कानून व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी देने के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए हो। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण ही रखने की छूट होगी। वृद्ध, बीमार व विशेष योग्यजन जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, उन्हें लाठी का सहारा लेने की छूट रहेगी।

बिना स्वीकृति नहीं निकाल सकेंगे जुलूस व वाहन रैली

कोई भी व्यक्ति जिले में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व एवं सक्षम स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनैतिक एवं अन्य प्रयोजनार्थ आम सभा, धरने, जुलूस, वाहन रैली, भाषण सभाओं आदि का आयोजन नहीं करेगा।

पुस्तकालय दिवस मनाया

झालावाड़। राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय झालावाड़ में बुधवार को राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व उपखण्ड अधिकारी कृष्ण गोपाल जोजन द्वारा कि गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हरीशंकर शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया गया। इसके पश्चात् माँ सरवस्ती वन्दना पुस्तकालय की पाठक कृष्णा द्वारा प्रस्तुत कि गई। पुस्तकालय की पाठक अनिता रेगर ने विद्यार्थियों के जीवन में पुस्तकालय के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर पुस्तकालय परिसर में पक्षियों के लिए पानी के परिंडे बांधे गये तथा पाठक खुशी खत्री, दर्शना खत्री, नरेन्द्र बेरवा, विवेक प्रजापति, बाबूलाल, गोविन्द, मयंक शर्मा आदि ने परिन्डे में प्रतिदिन पानी भरने की शपथ ग्रहण की।

नाम परिवर्तन

मैने अपना नाम भूपेंद्र कुमार से बदलकर भूपेंद्र कुमार नागर रख लिया है। भविष्य में मुझे भूपेंद्र कुमार नागर के नाम से जाना जावे, मकान नंबर 8, 9 अजय आहूजा नगर विस्तार योजना रंगबाड़ी कोटा

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या-53-B, वाके इन्द्रा विहार, ग्राम देवली अरब, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.) जो खसरा नम्बर 26 ग्राम देवली अरब का भाग है, उक्त भूखण्ड के मालिक श्री दिशांत गोस्वामी पुत्र श्री नरेन्द्र, निवासी 13, श्रीराम नगर देवली अरब रोड, बोरखेडा कोटा एवं श्री सन्दीप चौरसिया पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश निवासी A-68 सुभाष कॉलोनी, खेडली फाटक कोटा से उक्त भूखण्ड को मेरे पक्षकार श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री प्रहलाद झाला, निवासी शुगरमिल चौराहा, गेट नम्बर 116-B, केशवरायपाटन जिला बून्दी से क्रय करने का सौदा दिनांक 08.05.2024 को कर लिया है, उक्त सौदे से किसी भी आम व खास को किसी प्रकार का उज्र अथवा एतराज हो, तो अन्दर 7 योम लिखित में मुझे अथवा मेरे पक्षकार को कर दे, इसके पश्चात कोई उज्र, एतराज मान्य नही होगा। कृपया सूचित हो।

कोटा
दिनांक 21.05.2024
भवदीय
गोविन्द नामदेव, एडवोकेट
रामपुरा, कोटा (राज.)
मो.नं.9414284515

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

क्रमांकः-ननि (दक्षिण) को/राजस्व/2024/4047-48 दिनांकः-23.5.24

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार पुत्र सुल्तान सिंह, निवासी प्लाट नं. 60, ई पॉकेट-19, सेक्टर 3, रोहिणी सेक्टर 7, उत्तर पश्चिम दिल्ली नगर निगम, कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि-2016 के अनुसार "रेबल फूड प्राईवेट लिमिटेड" प्लॉट नं. 240 एण्ड 241, आरकेपुरम, कोटा में संचालन करने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम, कोटा के ब्लॉक ए के प्रथम तल के कमरा नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो।

राजस्व अधिकारी नगर निगम कोटा (दक्षिण)

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/3463 दिनांकः 23.5.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पुनीत अरोड़ा पुत्र श्री विनोद अरोड़ा निवासी गुरुद्वारा रोड कोटा जंक्शन कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर व्यावसायिक भूखंड संख्या 27 मोटर रिपेयर वर्कशॉप कोटा क्षेत्रफल 1250 वर्गफुट में से उत्तर पूर्व भाग क्षेत्रफल 312.5 वर्गफुट का छत सहित एवं दक्षिण पश्चिमी भाग क्षेत्रफल 312.5 वर्गफुट की छत का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। व्यावसायिक भूखंड संख्या 27 मोटर रिपेयर वर्कशॉप योजना कोटा क्षेत्रफल 1250 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय मण्डी कमेटी कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 4786 दिनांक 27.06.1990 से श्री हर प्रसाद पुत्र श्री नर्बदा प्रसाद को किया गया। श्री हर प्रसाद ने जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 20.11.1998 से उक्त व्यावसायिक भूखंड पर निर्मित दो दुकानों की वसीयत श्रीमती विमला बाई पुत्री श्री हर प्रसाद राय के नाम कर दी। श्री हर प्रसाद का देहावसान दिनांक 20.01.1999 को हो जाने के उपरांत श्रीमती विमला बाई ने उक्त दुकानों में से पूर्वपर की आरे की दुकान का मुख्तार आम जर्ये नोटेरी मुख्तार नामा दिनांक 26.11.2003 से श्री विनोद कुमार अरोड़ा पुत्र श्री सन्त राम को तथा अन्य दुकान का मुख्तार आम जर्ये नोटेरी मुख्तार नामा दिनांक 20.11.2003 से श्री सुरेश बसंल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल को नियुक्त कर दिया। श्री विनोद कुमार अरोड़ा ने बहैसियत मुख्तार आम पूरब की दुकान क्षेत्रफल 312.5 वर्गफुट मय छत के अधिकार के जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2004 से तथा श्री सुरेश बंसल ने अन्य दुकान की छत क्षेत्रफल 312.5 वर्गफुट जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2004 से श्रीमती वीना कुमार पत्नी श्री राम कुमार अरोड़ा को विक्रय कर दिया। श्रीमती वीना कुमारी जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 18.06.2018 से उक्त व्यावसायिक भूखंड में से क्रय शुदा भाग की वसीयत श्री पुनीत अरोड़ा पुत्र श्री विनोद कुमार अरोड़ा के नाम कर दी। श्रीमती वीना अरोड़ा का देहावसान दिनांक 04.06.2022 को हो जाने के उपरांत श्री पुनीत अरोड़ा पुत्र श्री विनोद कुमार अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त व्यावसायिक भूखंड के आवेदित भाग का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त व्यावसायिक भूखंड के आवेदित भाग का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त व्यावसायिक भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक जाहिर आम सूचना दिनांक -

आवास संख्या 3-ख-3 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री रुपनारायण विजय पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण विजय को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री रुपनारायण विजय पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण विजय के नाम दिनांक 31.05.1990 को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रुपनारायण विजय पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण विजय की मृत्यु दिनांक 27.11.2020 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री मनोज कुमार विजयवर्गीय पुत्र स्व. श्री रुपनारायण विजयवर्गीय, श्रीमती संगीता विजयवर्गीय पुत्री स्व. श्री रुपनारायण विजयवर्गीय पत्नी श्री हिमांशु विजयवर्गीय, श्री कुमार विजयवर्गीय पुत्र स्व. श्री रुपनारायण विजयवर्गीय एवं श्री कपिल विजयवर्गीय पुत्र स्व. श्री रुपनारायण विजयवर्गीय द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 09.03.2021 को अपनी माता श्रीमती प्रभावती विजय पत्नी स्व. श्री रुपनारायण विजय के पक्ष में किया गया। श्रीमती प्रभावती विजय पत्नी स्व. श्री रुपनारायण विजय द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-ख-3 विज्ञान नगर कोटा के आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्रीमती प्रभावती विजय पत्नी स्व. श्री रुपनारायण विजय के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती प्रभावती विजय पत्नी स्व. श्री रुपनारायण विजय के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती प्रभावती विजय पत्नी स्व. श्री रुपनारायण विजय के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2096 जाहिर आम सूचना दिनांक - 23.5.24

आवास संख्या 5-बी-11 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री शंकर लाल जिन्दल पुत्र श्री मदन लाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती किरण वर्मा पत्नी श्री पी.के. वर्मा के नाम दिनांक 29.12.1994 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती किरण वर्मा पत्नी श्री पी.के. वर्मा के नाम दिनांक 31.12.1994 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती किरण वर्मा पत्नी श्री पी.के. वर्मा द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 16.01.2004 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री असगर अली पुत्र श्री फजल हुसैन को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री असगर अली पुत्र श्री फजल हुसैन मुख्तार आम श्रीमती किरण वर्मा पत्नी श्री पी.के. वर्मा द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 18.09.2004 को श्री तफज्जुल हुसैन पुत्र श्री असगर अली को किया गया। श्री तफज्जुल हुसैन पुत्र श्री असगर अली का नाम दिनांक 22.02.2005 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री तफज्जुल हुसैन पुत्र श्री असगर अली द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 28.12.2004 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री असगर अली पुत्र श्री फजल हुसैन को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री असगर अली पुत्र श्री फजल हुसैन मुख्तार आम श्री तफज्जुल हुसैन पुत्र श्री असगर अली द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 11.03.2005 को डॉ. उदय सिंह यादव पुत्र